

प्रकरण संख्या - 16/20 (वा.अ.)

G.C.M.S. no. - 2020/00299

|                |                                  |   |
|----------------|----------------------------------|---|
| तारीख<br>हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख<br>अहकाम जो<br>इस हुक्म की<br>तामील में जारी<br>हुए |
|----------------|----------------------------------|---|

16/02/21

पञ्जाबी पेश हुई अधिवक्ता कोर्टों में  
उपस्थित अधिवक्ता कोर्टों के परिसर  
एवं प्रत्येक कर निवेदन किया कि पक्षप्रथम  
के मध्य आपसी समझौता हो चुका है इस  
कोर्ट में इसे कोई अर्थ नहीं चाहते हैं  
अतः कोर्ट में कार्यवाही शरिफ करमा  
जावे। यदि प्रकरण में पक्षकारों के मध्य  
आपसी समझौता हो चुका है तथा अधिवक्ता  
कोर्टों को जाने नहीं चलाया चाहते  
हैं अतः कोर्ट में कार्यवाही द्रूप की जावे  
है। पञ्जाबी फौजल सुमार लेकर नम्बर  
से कम हो

Handwritten signature/initials on the right margin.



(कै.के. शर्मा)  
जिला कलेक्टर  
चित्तौड़गढ़